न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : (223/12) 27/19

–:: प्रार्थी ::–

मुलतानराम गोद पुत्र धन्नाराम जाति–रेगर, निवासी–बलाड़ा, तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. हनुमानराम पुत्र पुखराज जाति–रेगर, निवासी–बलाड़ा, तहसील–जैतारण।
2. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण।
3. पटवारी हल्का बलाड़ा तहसील–जैतारण जिला–पाली राज।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 20/11/2012

उपस्थितः–

1. श्री भगवतीप्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः 19/03/2020

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल मृतक धन्नाराम का गोदपुत्र है मृतक धन्नाराम के कोई भी जायन्दा पुत्र नहीं होने से मृतक धन्नाराम ने अपनी जाति बिरादरी की प्रथा रीति रिवाज के अनुसार सायल को दिनांक 16.06.1991 को अपनी धर्मपत्नी सुगनाई की सहमति से परिवार व समाज तथा गांव के मौजिज सख्सों के रूबरू–मृतक धन्नाराम ने सायल को गोद में बैठाया साफा पहनाया था, तिलक लगाया जाकर गोद की रस्मपूर्ण की गई। तथा उपस्थित सभी को गुड बांटा गया। तथा भोजन भी करवा कर सायल की गोद लेने की पूर्ण रस्म रिवाज पूर्ण किये गये। इस मौका पर सायल के जायन्दा माता पिता भी उपस्थित थे। उन्होने ने भी सायल को धन्नाराम के गोद देना स्वीकार किया व धन्नाराम व धन्नाराम की पत्नी ने भी सायल को गोद पुत्र लेना स्वीकार घोषणा की। तब से सायल धन्नाराम व गोद पुत्र होना गावं भाईयों व बिरादरी में जाना व पहचाना जाता है। आम लोग भी सायल को गोद पुत्र धन्नाराम का होना जानते व पुकारते एवं पहचानते है। इस प्रकार से सायल मृतक धन्नाराम का गोद पुत्र जायज उतराधिकारी कानून की रूह से है। सायल को धन्नाराम व उनकी पत्नी सुगनाई ने जब से गोद लिया तब से उनकी मृत्यु पर्यन्त तक सायल ने उनकी सेवा चाकरी की। तथा उनके ही साथ

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

बतौर पुत्र के परिवार के सदस्य के जायन्दा पुत्र की भांति रहा। तथा उनकी मृत्यु पर उनके पीछे सभी प्रकार के सामाजिक कियाकम भी सायल ने ही किये है। धन्नाराम की मृत्यु तारीख दिनांक 20.06.1994 को सुगनाई की मृत्यु तारीख 15.06.2006 को हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र साथ पेश है। सायल को धन्नाराम का गोद पुत्र होने पर भारत सरकार निर्वाचन विभाग का फोटो परिचय पत्र में भी सायल के पिता का नाम धन्नाराम दर्जहै। मृतक धन्नाराम के रहवासी मकान का पटटा ग्राम पंचायत बलाड़ा से बना उसमें भी पिता का नाम धन्नाराम दर्ज है। सायल का परिवार का राशनकार्ड भीबना है। जिसमें भी सायल के पिता का नाम धन्नाराम दर्ज है। सायल के दत्तक पिता धन्नाराम पुत्र श्री सरूप रेगर निवासी बलाड़ा की कृषि भूमि ग्राम बलाड़ा तहसील जैतारण की सीमा में स्थित है। जिसके खसरा नंबर 53 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा है। जिसमें भी बतौर खातेदार के सायल के मृतक पिता धन्नाराम के ही नाम पर खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबंदी की साथ पेश है। उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त बहैसियत मृतक धन्नाराम के गोद पुत्र की हैसियत से सायल का ही चला आ रहा है। सायल मृतक धन्नाराम का हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत दत्तक पुत्र होने से प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है। तथा निर्वाचन विभाग के फोटो परिचय पत्र, मकान का पट्टा, राशनकार्ड, मारवाड़ ग्रमीण के खाता पास बुक जाति प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, बिल बिजली कनेक्शन सभी दस्तावेज में सायल के पिता का नाम धन्नाराम दर्ज है। इसमें सायल के पक्ष में प्रथमदृष्टतया केस है। तथा मौका पर कब्जा काश्त होने से भी सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में है। अगर गैरसायल संख्या 01 हनुमान ने नाजायज व शून्य व गैरकानूनी गोदनामा के आधार से उक्त कृषि भूमि को बैचान कर दिया अपने नाम का नामान्तकरण स्वीकार करा लिया तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी। सायल ने गैरसायल का गोदनामा निरस्त का दिवानी दावा सक्षम न्यायालय में पेश कर रखा है। इसलिए विविध मुकदमेंबाजी नहीं हो न्यायहित में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु भी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल खिलाफ गैरसायलान न्यायहित में जारी की जाकर गैरसायलको पाबन्द किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान कृषि भूमि खसरा नंबर 53 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा या इसका कोई भी भाग किसी भी तरह से किसी भी सख्य को ट्रान्सफर आदि नहीं करें। व दौराने दावा उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण गैरसायल संख्या 01 हनुमानराम के नाम गैरसायल संख्या 2, 3 नही करें। रेकार्ड की यथास्थिति मौका की यथास्थिति बनाये रखने का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश बहक सायल खिलाफ गैरसायल के जारी किया जावे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 02, 03 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ, जो सामिल मिसल है।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से पेश है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथन असत्य झूठ व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। धन्नाराम पुत्र श्री विशनाराम उर्फ स्वरूपराम जी ने अपने जीवनकाल में सायल मूल्तानराम को कभी भी गोद नहीं लिया, न ही गोदनामा की कोई रश्म अदायगी भी नहीं हुई थी। मूल्तानराम जी ने धन्नाराम जी की चल व अचल जायदाद को हड़पने की नियत से दिनांक 15.06.1991 का हवाला देते हुये अपने आपको धन्नाराम जी के गोद पुत्र होने झूठा कथन किया है। धन्नाराम के एकमात्र दत्तक हड़मानराम है। जिसके बाबत धन्नारामजी ने अपने जीवन काल में एक लिखत पंजीबद्ध गोदनामा भी दिनांक 08.12.1993 को किया था। नकल पंजीबद्ध गोदनामा इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से गैरसायल हनुमान जी ही धन्नाराम जी का गोदपुत्र था। इसके अलावा इस पद में वर्णित अन्य सभी तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 पूर्णतया गलत व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। सायल मूल्तानराम धन्नाराम जी व उसकी पत्नी सुगनाईदेवी का न तो कभी दत्तक पुत्र रहा, न ही मुल्तानराम ने धन्नाराम जी व सुगनाई के स्वर्गवास उपरान्त कोई बारवां व गंगा प्रसादी आदि किया था। उक्त सभी रश्मों का बिनर्वहन भी गैरसायल हनुमान ने ही किया है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। सायल मूलतानराम ने धन्नाराम जी की चल व अचल सम्पति हड़पने की नियत से अपनी पहचान से सम्बन्धित दस्तावेजात में धन्नाराम जी की वल्दियत गलत लिखवाई है। धन्नारामजी के मकान व प्लॉट पर भी सायल मुलतानराम ने बतौर अतिक्रमी के झूठा कब्जा वर्ष 2012 में यानि इसी वर्ष किया है। उक्त अतिक्रमण हटाने बाबत पृथक से कार्यवाही की जावेगी। उक्त झूठी दस्तावेजात के आधार पर सायल मूलतानराम को धन्नाराम जी की जायदाद पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। सायल ने पहचान से सम्बन्धित झूठे दस्तावेजात तैयार किये है। इसके बावजूद पृथक से दाण्डिक कार्यवाही भी सायल के विरूद्व की जावेगी। धन्नाराम जी का दत्तक पुत्र गैरसायल संख्या 01 ही है। व उसके पक्ष में पंजीबद्व गोदनामा भी धन्नाराम जी द्वारा ही किया हुआ है। इस आधार पर भी सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। गैरसायलसंख्या 01 बलाड़ा मेंही रह रहा हे। एवं धन्नाराम जी द्वारा गैरसायलसंख्या 01 के हक में पंजीबद्व गोदनामा भी किया हुआ है। एवं वादग्रस्त भूमिइसी गोदनामा के आधार पर गैरसायल संख्या 01 धन्नाराम जी पुत्री समुदेवी के हकतर्क कर दी है। नकल पंजीबद्व हकतर्कनामा इस जवाब के साथ पेश है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण.

Scanned with CamScanner

भूमि की एकमात्र हक व अधिकारीणी है समुदेवी पुत्री धन्नाराम रेगर निवासी बलाड़ा वाली है। तथा सायल का इस भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। सायल धन्नाराम का दत्तक पुत्र कतई नहीं है। पहचान से सम्बन्धित दस्तावेज झूठे बनाये है। सायल का धन्नाराम जी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। सायल के पक्ष में प्रथमदृष्टतया मामला होने का कथन पूर्णतया गलत है। सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में होने के कथन गलत है। बल्कि गैरसायल के पक्ष में गोदनामा है। सायल ने असत्य व निराधार आधारों पर वादपत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के है। मौके पर भी सायल को कोई कब्जा व हक व अधिकार नहीं है। इसलिये भी सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र का निपटारा हम निम्न बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर करना उचित समझते हैं।

1– प्रथमदृष्ट्या मामला :– हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र तथा इनके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा उस पर मनन किया। इन सबके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि खातेदार मृतक धना पुत्र सरूप के दो पुत्रियां समुदेवी तथा परमाई प्रथम श्रेणी की वारिसान के नाम उल्लेखित होते हैं। हस्तगत प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रार्थी द्वारा धन्ना की जायन्दा पुत्रियों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से नहीं लाया गया है। प्रार्थी द्वारा धन्ना के गोदपुत्र होने के संबंध में कोई विश्वसनीय दस्तावेज उपलब्ध भी नहीं करवाये गये है। अतः प्रथमदृष्टतया मामला प्रार्थी द्वारा साबित नहीं हो पा रहा है।

2– सुविधा का संतुलन :– ग्राम बलाड़ा, पटवार हल्का–बलाड़ा, तहसील–जैतारण के खसरा नंबर 53 रकबा 3–19 बीघा बारानी अव्वल पर प्रार्थी/वादी का कब्जा किस प्रकार है तथा कब्जे के संबंध में कोई ठोस प्रमाण देने में प्रार्थी असफल रहा है। साथ ही उक्त आराजी के मूल हितबद्ध विधिक प्रथम श्रेणी के उतराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। तथा प्रार्थी/वादी यह भी बताने में असफल रहा है कि कौन–कौनसी सुविधाओं का सन्तुलन उसके पक्ष में किस प्रकार है। अतः सुविधा का संतुलन को अपने पक्ष में साबित करने में प्रार्थी असफल रहा है।

3–अपूरणीय क्षतिः– हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रार्थी/वादी को किस प्रकार की अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है इसे स्पष्ट करने में प्रार्थी/वादी असफल रहा है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned with CamScanner

अतः उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी/वादी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति बखूबी साबित नहीं होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादीगण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भलीभांती साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, जैतारण
जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 19/03/2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक, जैतारण
जिला–पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2020.04.11 12:31:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: